

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

स्पोर्ट्स बोर्ड

अन्तर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करवाने के लिए आयोजन सचिव/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रतिनिधि/पर्यवेक्षक को आवश्यक निर्देश

- 1- जिस महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षक उपलब्ध हो वहां अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता हेतु शारीरिक शिक्षक को ही आयोजन सचिव बनाया जावे।
- 2- महाविद्यालय द्वारा स्पोर्ट्स बोर्ड से सम्बद्धता हेतु रूपये 6000/- छात्रों हेतु एवं रूपये 6000/- छात्राओं हेतु पृथक-पृथक रूप से जमा कराना है। स्पोर्ट्स बोर्ड म0 द0 स0 विष्वविद्यालय, अजमेर से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय की टीम ही अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेगी।
- 3- महाविद्यालयों को जिन खेलों में भाग लेना है उनकी प्रविष्टी रजिस्टर्ड पत्र द्वारा संबंधित आयोजन सचिव एवं एक प्रति सचिव, स्पोर्ट्स बोर्ड के पास निर्धारित तिथि से पूर्व पहुंच जानी चाहिए। प्रतिलिपि पर स्पोर्ट्स बोर्ड, म0 द0 स0 विष्वविद्यालय से सम्बद्धता हेतु बुल्क एवं खेल विकास बुल्क के ड्राफ्ट नं. एवं दिनांक अंकित करें।
- 4- अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी 10वीं, 12वीं एवं कॉलेज की सभी कक्षाओं की मूल अंकतालिकाओं मय एक-एक फोटो प्रति के तथा पासपोर्ट साइज की चार फोटो कॉलेज में प्रवेश की रसीद एवं महाविद्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र निश्चित रूप से अवश्य साथ लावें, अन्यथा प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया जावेगा। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन एवं संबंधित खिलाड़ी की होगी।
- 5- अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को विविध खेलों में भाग लेने के लिए योग्यता प्रमाण-पत्र (क्रमांक 4 पर अंकित) पृथक-पृथक रूप से प्रस्तुत करने होंगे।
- 6- अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता के अध्यक्ष विजेता एवं उपविजेता के प्रमाण पत्रों पर खिलाड़ी का छांया चित्र चिपकवाकर अपने हस्ताक्षर मय मोहर के वितरित करें। प्रमाण पत्र का लेखा जोखा मय नाम एवं क्रमांक के अधोहस्ताक्षरकर्ता को रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 7- आयोजक महाविद्यालय प्रतियोगिता की समाप्ति के तीन दिन के अन्दर समस्त अभिलेख – योग्यता प्रोफोर्मा, प्रमाण पत्रों का लेखा जोखा, परिचय पत्र की छायाप्रति तथा व्यय का ऑडिटेड स्टेटमेन्ट एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र की दो प्रतियां निर्धारित पत्र में (आयोजन सचिव रिपोर्ट के साथ) अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजें तत्पश्चात ही अंशदान राशि भिजवाई जायेगी। तीन दिन में उक्त प्रपत्र नहीं भेजे जाने पर विष्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 8- सभी खेलों के द्वा अयोजन सचिव द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों के सम्मुख निकाले जायेंगे। प्रविष्टि भेजकर भाग नहीं लेने एवं द्वा से पूर्व सूचना ना देने वाले महाविद्यालयों को खेलकूद निर्देशिकाओं के अनुसार दण्डित किया जायेगा। आयोजन सचिव ऐसे महाविद्यालयों की सूची अधोहस्ताक्षरकर्ता को रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेंगे। सभी महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि जिन खेलों में भाग लेना है उसी में अपनी प्रविष्टि भेजें।
- 9- किकेट पुरुष प्रतियोगिता का द्वा प्रविष्टि की अन्तिम तिथि के तीन दिन के बाद, खेल कूद/प्रतिनिधि के समक्ष डाला जावे। क्वाटर फाईनल, सेमीफाईनल, फाईनल एवं चयन स्पर्धा भी इन्हीं के सम्मुख होगी। अन्तर महाविद्यालय किकेट प्रतियोगिता का जिस महाविद्यालय को आवंटन किया जायेगा उसे यह प्रतियोगिता आयोजित कराना अनिवार्य होगा।
- 10- छात्रों के लिए इस सत्र में हेमर थ्रो, ट्रिपल जम्प, हेप्टथलन, 100/400 मीटर बाधा दोड 1000 मीटर दोड तथा 5000 मीटर दोड तथा 5 किलोमीटर वॉक एवं पुरुषों के लिए 20 किलोमीटर पुरुष/महिला हाफ मैराथन की होगी तथा आयोजक महाविद्यालय भाग लेने वाले महाविद्यालयों को डिटेल प्रविष्टि हेतु दिनांक निश्चित कर सूचित करें।
11. अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में अध्यक्ष प्रतिनिधि/पर्यवेक्षक ही कोप्टेड मेम्बर की नियुक्ति कर सचिव खेल बोर्ड / आयोजन सचिव को सूचित करें।
12. आयोजक महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि जिन खेलों में छात्रों एवं छात्राओं की प्रतियोगिताएं एक साथ आयोजित होगी उनके रहने व खाने की व्यवस्था समुचित रूप से पृथक पृथक करें।
13. प्रत्येक खेल की प्रविष्टि पृथक – पृथक रूप से निर्धारित तिथि अनुसार भेजे। सभी खेलों की प्रविष्टी एक साथ एक पत्र में ना भेजे अन्यथा मान्य नहीं होगी।
14. आयोजन सचिव विश्वविद्यालय पर्यवेक्षक, अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रतियोगिता प्रारम्भ होने से पूर्व खिलाड़ियों के परिचय पत्र, योग्यता प्रोफोर्मा की जांच उपरान्त ही हस्ताक्षर करें। सेमीफाईनल में पहुंची टीमों के सभी मूल दस्तावेज, (अंकतालिकाओं) इत्यादि की जांच कर पुष्टि कर लें। सेमीफाईनल की टीमों का ग्रुप फोटो तथा मूल दस्तावेजों की जांच आवश्यक है।
15. यदि पुरुष प्रतियोगिता में चार व महिला प्रतियोगिता में तीन दलों से कम संख्या हों तो केवल चयन स्पर्धा को ही आयोजित करावें तथा किसी तरह का प्रमाण पत्र नहीं दिया जावे।

- 16- दल के साथ शारीरिक शिक्षक अथवा व्याख्याता होने पर ही दल को प्रतियोगिता में भाग लेने देवें।
- 17- गत वर्षों के विजेता महाविद्यालय चल वैजयन्ती को पालिस करवाकर सही स्थिति में संबंधित आयोजक महाविद्यालय को प्रतियोगिता से पूर्व भिजवाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचना देवें। इस वर्ष की वैजयन्ती की प्राप्ति की रसीद की एक प्रति विजेता महाविद्यालय से लेकर आयोजन सचिव की रिपोर्ट के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवावें, शील्ड नहीं भेजने पर प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया जावेगा।
- 18- अन्तर महाविद्यालय पुरुष एवं महिला कास कन्ट्री प्रतियोगिता में केवल प्रथम तीन व्यक्तिगत स्थान प्राप्त करने वाले को ही प्रमाण-पत्र देवें।
- 19- ऐथेलेटिक्स, भारोत्तोलन, पावर लिफ्टिंग बेस्ट फिजिक में इस विष्वविद्यालय द्वारा ए.आई.यू. के सिक्स स्टेन्डर्ड के अनुसार अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता हेतु चयन किया जावे। प्रषिक्षण षिविर में पुनः ट्रायल ली जावेगी। उपरोक्तानुसार सही नहीं पाये जाने पर चयन निरस्त समझा जावेगा एवं ऐसे खिलाड़ियों को किसी भी तरह का भत्ता देय नहीं होगा।
- 20- अन्तर महाविद्यालय किकेट प्रतियोगिता पुरुष/महिला के मैच 50–50 ओवर के होंगे।
- 21- व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं के लिये निर्णयक शुल्क रूपये 200 ऐथेलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए रूपये 200/-, किकेट पुरुष/महिला प्रतियोगिता के लिए प्रति मैच रूपये 700/- तथा अन्य समस्त प्रतियोगिताओं के लिए प्रति मैच रूपये 100/- होंगे।
- 22- मुख्य परीक्षा में जिन छात्रों का परिणाम वैकल्पिक विषय में पूरक घोषित हुआ है, वे छात्र-छात्रा अन्तर महाविद्यालय/अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेंगे। पूरक का परिणाम पास होने पर भी केवल षनियमित विद्यार्थी होने पर भाग ले सकेगा।
- 23- पर्यवेक्षक/अध्यक्ष प्रतिनिधि/आयोजन सचिव को चयन सूची निर्धारित प्रपत्र में ही सचिव को भेजा जाना आवश्यक है। चयन सूची के प्रपत्र (परिशिष्ट 3) में निर्धारित संख्या एवं भाषा में किसी प्रकार का परिवर्तन अमान्य होगा।
- 24- विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स बोर्ड के अन्तर्गत अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता इस वर्ष में जिन स्पर्धाओं का आयोजन होगा उनके आधार पर जनरल चैम्पियनशिप निर्धारित होगी।
- 25- आई.टी.टी.एफ. एवं ए.आई.यू. के अनुसार टेबल टेनिस खेल में डा. रबर को उपयोग में लेने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।
- 26- अनुषासनहीन खिलाड़ियों का महाविद्यालय/विष्वविद्यालय द्वारा प्रवेष निरस्त किया जा सकता है और साथ ही मुख्य परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।
- 27- कोच, मैनेजर, स्पोर्ट्स बोर्ड प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक, आयोजन सचिव, प्राचार्य आदि को स्पोर्ट्स बोर्ड के अध्यक्ष, सचिव एवं अनुभागाधिकारी द्वारा टेलिफोनिक मैसेज एवं अन्य संचार माध्यमों से दी गई सूचना को अधिकारिक सूचना माना जावे।
- 28- खेल प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु खिलाड़ी का नियमित छात्र होना तथा उसको परीक्षा में प्रविष्ट होना अत्यन्त अनिवार्य है ऐसा न होने पर भविष्य में भी खिलाड़ियों के खेलने पर भी प्रमाण पत्र नहीं दिया जावेगा।
- 29- अन्तर महाविद्यालय कॉस कन्ट्री दौड़ प्रतियोगिता ए.आई.यू. के नियमानुसार ही आयोजित की जावेगी। अतः पुरुषों में 9 धावक व महिलाओं में 6 धावक भाग लेंगे।
- 30- भाग लेने वाली सभी टीम निर्धारित किट में मय निर्धारित रंग के अपने झण्डे के साथ उपस्थित हों।

सचिव
स्पोर्ट्स बोर्ड